न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 15/2022(2022/27)

अनवान : –

1. भूपसिंह पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. उम्मेदसिंह पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. कृष्ण कुमार अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा। वादी

बनाम

1. अर्जनराम पुत्र जसुराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सरजीतसिंह पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. अनकोरी पुत्री अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. किताबोदेवी पुत्री अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. जैतादेवी पुत्री अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. इन्द्रादेवी पुत्री अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भादरा। प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री दलीप सिंह झोरड़ वादी
श्री तरूण मिश्रा प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 08/4/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सख्यां 85/146 के खसरा सं. 108, 308, 311, 96, 97, 98 कुल खसरा 6 की 19.197 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अर्जनराम के नाम 320/19197 हिस्सा एवं खाता सं. 89 के खसरा सं. 278, 279, 310, 312, 313, 314, 327 ता 332 कुल खसरा 12 की 48.676 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अर्जनराम के नाम 2029/146028 हिस्सा एवं खाता सं. 291/13 के खसरा सं. 270 की 4.555 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अर्जनराम के नाम से 1328/4555 हिस्सा एवं रोही मौजा रसलाना के खाता सं. 130/370 के खसरा सं. 4, 463/4, 8 कुल खसरा 3 की 23.396 हैक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी 1 अर्जनराम के नाम 1/12 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा की खातेदारी हुआ करती थी, जिनके देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी सं. 01 अर्जनराम ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी अर्जनराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साथ–साथ प्रतिवादी सं. 02 ता 06 का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी अर्जनराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 अर्जनराम को वादी के दादा से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबंदी मुन्सरी बारानी सम्वत 2054 व जमाबंदी खतौनी रासलाना बारानी सम्वत 2051 से साफ रोशन है, इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 03 ता 06 ने वादभूमि में से अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया है। जो राजीनामा में स्वीकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी भूपसिंह पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश कर बयान व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सख्यां 85/146 के खसरा सं. 108, 308, 311, 96, 97, 98 कुल खसरा 6 की 19.197 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अर्जनराम के नाम 320/19197 हिस्सा एवं खाता सं. 89 के खसरा सं. 278, 279, 310, 312, 313, 314, 327 ता 332 कुल खसरा 12 की 48.676 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अर्जनराम के नाम 2029/146028 हिस्सा एवं खाता सं. 291/13 के खसरा सं. 270 की 4.555 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अर्जनराम के नाम से 1328/4555 हिस्सा एवं रोही मौजा रसलाना के खाता सं. 130/370 के खसरा सं. 4, 463/4, 8 कुल खसरा 3 की 23.396 हक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी 1 अर्जनराम के नाम 1/12 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रतिवादियां सं. 03 ता 06 ने अपना हक वादी एवं प्रतिवादी सं. 02 के हिस्से में त्याग कर शून्य कर लिया, जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सख्यां 85/146 के खसरा सं. 108, 308, 311, 96, 97, 98 कुल खसरा 6 की 19.197 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अर्जनराम के नाम 320/19197 हिस्सा एवं खाता सं. 89 के खसरा सं. 278, 279, 310, 312, 313, 314, 327 ता 332 कुल खसरा 12 की 48.676 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अर्जनराम के नाम 2029/146028 हिस्सा एवं रोही मौजा रसलाना के खाता सं. 130/370 के खसरा सं. 4, 463/4, 8 कुल खसरा 3 की 23.396 हक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी 1 अर्जनराम के नाम 1/12 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें प्रतिवादी सं. 01 अर्जनराम** का नाम कलमजन कर **वादी सं. 01** भूपसिंह, **वादी सं. 02 उम्मेदसिंह, वादी सं. 03** कृष्ण कुमार एवं प्रतिवादी सं. 2सरजीत सिंह बाहेस्सा के **खातेदार काश्तकार घोषित किये** जाते है। तथा खाता सं. **291/13** के खसरा सं. **270** की **4.555 हैक्टर बारानी खातेदारी में** प्रतिवादी अर्जनराम के नाम से **1328/4555 हिस्सा यथावत अर्जनराम के नाम दर्ज रखा** जावे। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन **मुक्त होने** के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 15/2022(2022/27)

अनवान : —

1. भूपसिंह पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. उम्मेदसिंह पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. कृष्ण कुमार अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. अर्जनराम पुत्र जसुराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सरजीतसिंह पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. अनकोरी पुत्री अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. किताबोदेवी पुत्री अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. जैतादेवी पुत्री अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. इन्द्रादेवी पुत्री अर्जनराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दलीप सिंह झोरड़ व वकील प्रतिवादी श्री तरूण मिश्रा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सख्यां 85/146 के खसरा सं. 108, 308, 311, 96, 97, 98 कुल खसरा 6 की 19.197 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अर्जनराम के नाम 320/19197 हिस्सा एवं खाता सं. 89 के खसरा सं. 278, 279, 310, 312, 313, 314, 327 ता 332 कुल खसरा 12 की 48.676 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अर्जनराम के नाम 2029/146028 हिस्सा एवं रोही मौजा रसलाना के खाता सं. 130/370 के खसरा सं. 4, 463/4, 8 कुल खसरा 3 की 23.396 हक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी 1 अर्जनराम के नाम 1/12 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसमें प्रतिवादी सं. 01 अर्जनराम का नाम कलमजन कर वादी सं. 01 भूपसिंह, वादी सं. 02 उम्मेदसिंह, वादी सं. 03 कृष्ण कुमार एवं प्रतिवादी सं. 2सरजीत सिंह बहिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तथा रोही मौजा मुन्सरी बारानी खाता सं. 291/13 के खसरा सं. 270 की 4.555 हैक्टर बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अर्जनराम के नाम से 1328/4555 हिस्सा यथावत अर्जनराम के नाम दर्ज रखा जावे। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...08/4/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़